अनुदान संख्या 9 - कोयला मंत्रालय
GRANT No. 9 - MINISTRY OF COAL

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	393,24,00	547,89,00	497,05,90	-50,83,10
पूरक	Supplementary	154,65,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				50,80,63

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में समग्र बचतें (₹5083.10 लाख) दिसम्बर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹15465.00 लाख के पूरक अनुदान का 33 प्रतिशत और कुल स्वीकृत अनुदान का 9 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹5083.10 lakhs) constituted 33 percent of the supplementary grants of ₹15465.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and 9 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय– आर्थिक सेवायें	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	3909.00	3159.20	3157.25	-1.95
पु.	R.	-749.80			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2230"	Major Head "2230"				
श्रम, रोजगार और कौशल विकास	Labour, Employment and Skill Development				
मू.	O.	1296.00	57.00	57.00	..
पु.	R.	-1239.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	3145.00	..	..	..
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-3146.00			
मुख्य शीर्ष "2803"	Major Head "2803"				
कोयला और लिग्नाइट	Coal and Lignite				
मू.	O.	30974.00	46492.17	46491.65	-0.52
पू.	S.	15464.00			
पु.	R.	54.17			

(I) दस शीर्षों के अंतर्गत ₹3323.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹2501.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "कोयला और लिग्नाइट – अन्य व्यय" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध थे :–

(I) Provision of ₹3323.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under ten heads; of these ₹2501.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Coal and Lignite - Other Expenditure" - under the following heads:-

(का) "क्षेत्रीय खनन" – ₹751.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(A) "Regional Exploration" - ₹751.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(खा) “विस्तृत खोदाई” – ₹1750.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों में आंशिक अनुदानों का पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – कोयला मंत्रालय” के अंतर्गत – ₹751.75 लाख की बचत (₹3909.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधानों में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2230” – “श्रम – श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा – कोयला खान पेंशन योजना, 1998” के अंतर्गत – ₹1239.00 लाख की बचत (₹1296.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अप्रयुक्त राशि उपलब्ध होने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान मे कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2803” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) “निदेशन और प्रशासन – सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय” – ₹1090.85 लाख की बचत (₹2665.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) “कोयला और लिग्नाइट कंपनियों को सहायता – कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा और अवसंरचना विकास” – ₹3696.00 लाख की बचत (₹3989.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोयला कंपनियों से दावे प्राप्त नहीं होने और कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹5055.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि

(B) “Detailed Drilling” - ₹1750.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat-Ministry of Coal” - saving of ₹751.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3909.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head “2230” - “Labour - Social Security for Labour - Coal Mines Pension Scheme, 1998” - saving of ₹1239.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1296.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to availability of unspent balances of previous year.

(IV) Under Major Head “2803” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration - Statutory Bodies, attached and Sub-ordinate office” - saving of ₹1090.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2665.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) “Assistance to Coal and Lignite Companies-Conservation Safety and Infrastructure Development in Coal Mines” - saving of ₹3696.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3989.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from coal companies and receipt of less proposals.

2. The above savings were partly (₹5055.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-

मुख्य शीर्ष "2803" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹15465.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

(का) "खोज और विस्तृत खनन – कोयला और लिग्नाइट की खोज" – ₹1396.00 लाख।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास" – ₹3659.00 लाख।

appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹15465.00 lakhs under Major Head "2803" - under the following heads:-

(A) "Exploration and Detailed Drilling - Exploration of Coal and Lignite" - ₹1396.00 lakhs.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas" - ₹3659.00 lakhs.